ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी मंजूर, मिलेंगे 1.20 लाख रोजगार

वर्ष 2028 तक प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य, उद्योग लगाने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इससे वर्ष 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत पांच साल में उद्योग लगाने वालों को कई लाभ और प्रोत्साहन मिलेंगे। वहीं, करीब 1.20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में यूपीनेडा नोडल एजेंसी होगी।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में ऊर्वरक, पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट आदि में होता है। अभी तक बिजली व गैस आधारित तकनीक से हाइड्रोजन पैदा की जाती थी, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। इसे ग्रीन हाइड्रोजन में बदलने की दिशा में काम शुरू हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की अवधि पांच साल रखी गई है। इस दौरान लगने वाले उद्योगों को 10 से 30 प्रतिशत तक पूंजीगत खर्च पर सब्सिडी देंगे। पहले पांच उद्योगों को 40 प्रतिशत तक छूट देंगे।

फैसला 06

उन्होंने बताया कि एनर्जी बैंकिंग का भी प्रावधान होगा। इंट्रास्टेट बिजली भेजने पर जो शुल्क लगते हैं, उस पर 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। वहीं अन्य राज्यों में मंगाने पर भी 100 प्रतिशत तक बिलिंग व ट्रांसमिशन शुल्क में छूट मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 30 वर्ष अवधि के लिए ग्राम समाज, सरकारी भूमि पर लीज पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए लीज का मूल्य एक रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा तथा निजी निवेशकों के लिए यह 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष होगा।

पंजीकरण एवं स्टांप शुल्क में मिलेगी छूट

लखनऊ। नयवेली उत्तर प्रदेश पावर लि. को बंधक पत्र के पंजीकरण व स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। इसे मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। यह कंपनी एनएलसी इंडिया व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य कर रही है। इसका कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कानपुर के घाटमपुर में है। इसकी एक यूनिट से उत्पादन शुरू कर दिया गया है। यहां 660 मेगावाट की तीन इकाइयां हैं। ब्यूरो

फैसला 07

अनपरा में लगेंगी दो उत्पादन इकाइयां

लखनऊ। अनपरा में एनटीपीसी की मदद से 800- 800 मेगावाट की दो विद्युत उत्पादन इकाइयां लगेंगी। घरेलू बिजली उत्पादन बढ़ने से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिल सकेगी। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि डीपीआर के अनुसार अनुमानित लागत 18624.83 करोड़ है। पहली यूनिट लगभग 50 माह और दूसरी 56 माह में तैयार होगी। ब्यूरो

फैसला 08

आबकारी विभाग लाएगा एकमुश्त समाधान योजना

लखनऊ। कैबिनेट ने आबकारी विभाग को बकाया धनराशि वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस स्कीम) लाने की मंजूरी दी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि इसमें बकायेदारों द्वारा पूरी धनराशि का भुगतान करने पर ब्याज में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। बता दें कि आबकारी विभाग का वर्ष 1956 से करीब 43 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें कई फुटकर व्यापारी शामिल हैं। ब्यूरो

फैसला 09